

महत्वपूर्ण एवं खास

शादी के दो दिन बाद पति ने पत्नी का किया कत्ल : फिर खुद भी लगाया मौत को गले

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी के ब्रिज नगर में दूल्हे ने दुल्हन की हत्या की कर दी है। वारदात को अंजाम देने के बाद युवक ने भी खुदकुशी कर ली। जानकारी के अनुसार शादी के दूसरे दिन यानी मंगलवार रिसेप्शन पार्टी थी। उससे पहले ये घटना सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। युवक और युवती की दो दिन पहले शादी हुई थी। आज दोनों परिवार के लोग रिसेप्शन पार्टी की तैयारियों में व्यस्त थे। कार्यक्रम के लिए तैयार होने गए पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। जिसके बाद गुस्से में आकर दूल्हे ने चाकू मारकर दुल्हन की हत्या कर दी। उसके बाद खुद पर भी चाकू से हमला कर लिया। जिसके बाद उसने भी इलाज के दौरान मौत हो गई। टिकरापारा थाना प्रभारी अमित बेरिया ने बताया कि, 19 फरवरी को दोनों की शादी हुई थी। युवक और युवती पहले से एक दूसरे को पहले भी जानते थे। आज शादी का रिसेप्शन था। इसी बीच युवक कमरे में जाकर अपनी पत्नी से बात करने लगा था। जिसके बाद युवती की हत्या कर खुदकुशी कर ली है। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस का 23 तारीख को रायपुर आगमन

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र रायपुर लोकसभा क्षेत्र के 7 बार के सांसद रहे चुके रमेश बैस का महाराष्ट्र के राज्यपाल बनने के पश्चात पहली बार दिनांक 23 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे विवेकानंद विमानतल माना रायपुर आगमन हो रहा है। रमेश बैस महाराष्ट्र से पहले त्रिपुरा और झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं। प्रदेश के लिए एकीकृत भारत है कि आज एक छत्तीसगढ़िया समूत देश की आर्थिक राजधानी का राज्यपाल बना है। रायपुर में 3 दिन के प्रवास पर माननीय राज्यपाल महोदय रहेंगे। तत्पश्चात दिनांक 25 फरवरी को उनका दिल्ली प्रस्थान होगा। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर रायपुर की जनता व शुभचिंतक उनका भव्य स्वागत करेंगे।

गांव के लड़के से शादी की लड़की, गुस्से से लाल परिजनों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

बिलासपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी में एक मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दो पक्षों में जमकर लड़ाई हो रही है। बताया जा रहा है कि ये मामला प्रेम विवाह का है, जिसमें लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के के घर में घुसकर जमकर मारपीट की है। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि प्रेम विवाह से नाराज लड़की पक्ष ने लड़के के घरवालों की पिटाई की है। लड़की पक्ष के लोगों ने जमकर लाठी-डंडे बरसाए हैं। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पूरा मामला पचपेड़ी थाने इलाके का है। बताया जा रहा है कि थाना पामगढ़ अन्तर्गत हैडसपुर गांव की 22 साल की लड़की उसी गांव के लड़के के साथ भागकर प्रेम विवाह कर ली। परिवार के लोग हंसिया-कुल्हाड़ी लेकर लड़की को ले जाने लगे, जिससे दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। पचपेड़ी पुलिस कार्रवाई कर रही है।

रविशंकर विश्वविद्यालय में हुई नए कुलपति की नियुक्ति

रायपुर (आरएनएस)। राज्यपाल सह कुलाधिपति अनुसूचित उड़के ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा-13 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. राम मनोहर लोहिया अग्रध विश्वविद्यालय, अयोध्या के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर सचिन्दावन्द शुक्ला को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति डॉ. केशरी लाल वर्मा के 1 अप्रैल 2023 को पूर्ण हो रहे कार्यकाल के उपरांत कार्यभार करने की ग्रहण करने की तिथि से प्रोफेसर शुक्ला पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के नये कुलपति होंगे। राज्यपाल सह कुलाधिपति द्वारा 14 फरवरी 2023 को उक्त आशय का आदेश जारी किया गया है।

आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु मिशन मोड पर करें काम -कलेक्टर डॉ.सिद्दीकी

शहरी स्लम स्वास्थ्य योजनांतर्गत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाभ पहुंचाने के निर्देश

कलेक्टर डॉ सिद्दीकी ने ली समय-सीमा की बैठक

सारांगढ़-बिलासगढ़। कलेक्टर डॉ.फरिहा आलम सिद्दीकी ने समय-सीमा की बैठक में जिले में शिविर के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रगति के संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों के कार्यों की सराहना की एवं इस कार्य को मिशन मोड में करते हुए



आंकड़ों में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए इस योजना के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने को कहा, साथ ही नगर पालिकाओं को बेहतर तरीके से मूनादी कराकर अधिक से अधिक लोगों को शासन की इस योजना से

लाभान्वित करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ.सिद्दीकी ने जिले में चल रहे जाति प्रमाण जारी करने संबंधी कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए इस योजना के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने को कहा, साथ ही नगर पालिकाओं को बेहतर तरीके से मूनादी कराकर अधिक से अधिक लोगों को शासन की इस योजना से

पटवारियों और राजस्व निरीक्षकों की सहायता से कार्य की गति बढ़ाने को कहा। इसके पश्चात् राजस्व न्यायालय के प्रकरणों के संबंध में नाराजगी जताते हुए सभी न्यायालयों में लंबित मामलों का प्राथमिकता से शीघ्र निपटान करने को कहा। वन अधिकार पत्र अंतर्गत सभी ब्लॉक में चिन्हित पांच गाँवों में महात्मा गाँधी विवादित खातों विभाजन, नामांतरण स्वीकृति की समीक्षा की, साथ ही वन अधिकार पत्रधारियों के धान खरीदी हेतु पंजीयन की वर्तमान स्थिति के संबंध में जानकारी ली एवं आवश्यक निर्देश दिए। वनोपज की समीक्षा करते हुए वन विभाग

सीएचसी तमनार में बढ़ाई जाएगी स्वास्थ्य सुविधाएं, कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने दिए निर्देश

रीपा में उत्पादन के साथ मार्केटिंग व सप्लाय चैन पर भी करें फोकस-कलेक्टर सिन्हा

बायोप्लॉक विधि से मछली पालन को बढ़ावा देने कलेक्टर ने दिए निर्देश



की पदस्थापना की मांग रखी। जिस पर कलेक्टर सिन्हा ने फौन सीएमएचओ को अस्पताल में मांग के अनुरूप केंद्र तमनार का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल परिसर का भ्रमण कर सभी बाड़ों का जायजा लिया साथ ही मरीजों से चर्चा कर इलाज के संबंध में फीडबैक भी लिया। सीईओ जिला पंचायत अविनाश मिश्रा भी निरीक्षण में साथ रहे। इस मौके पर मरीजों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल में स्पेशलिस्ट चिकित्सकों

अनुज पटेल, सीईओ जनपद तमनार एस.के.मरकाम सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। रीपा में उत्पादन के साथ मार्केटिंग व सप्लाय चैन पर भी करें फोकस- कलेक्टर सिन्हा ने मिल्पारा में तैयार हो रहे रीपा गौठान का भी निरीक्षण किया। यहां उन्होंने महिला समूहों के साथ सीधा संवाद कर उनके कामकाज का फीडबैक लिया। कलेक्टर सिन्हा ने डिट्टी कलेक्टर अक्षा गुप्ता, तहसीलदार



के बारे में जानकारी ली। बताया गया कि यहां 12 अलग-अलग आजीविका मूलक कार्य किए जायेंगे जिनमें मशरूम उत्पादन, मिनरल वॉटर प्लांट, कोसा के कपड़े तैयार करना, ऑटो मोबाइल रिपेयरिंग शॉप जैसे गतिविधियां शामिल हैं। कलेक्टर सिन्हा ने इन कार्यों को करने वाले समूहों तथा व्यक्तियों से एक-एक करके चर्चा की तथा उनके ट्रेनिंग के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि सामान तैयार करने के साथ-साथ

उसकी मार्केटिंग व सप्लाय चैन पर भी फोकस करना है, जिससे कार्य स्थायी रूप से संचालित हो। इसके लिए उन्होंने स्थानीय उद्योगों का भी सहयोग लेने के निर्देश दिए। बायोप्लॉक विधि से मछली पालन को बढ़ावा देने के निर्देश- कलेक्टर सिन्हा ने इसके साथ ही संबलपुरी गौठान का भी निरीक्षण किया। यहां उन्होंने गौठान को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। महिला

समूहों द्वारा यहां बायोप्लॉक विधि से किए जा रहे मछली पालन का काम भी देखा। इसके बारे में जानकारी लेने पर बताया गया कि यहां 7 टर्कियों में पंगोशियस मछली का पालन किया जा रहा है। इसमें से अब तक लगभग 60 किलो मछली का विक्रय किया गया है। कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि यह आजीविका के लिहाज से काफी अच्छा कार्य है, इसे अन्य गौठानों पर भी व्यवसायिक स्तर पर शुरू करने के निर्देश उन्होंने सहायक संचालक मत्स्य पालन को दिए। इसके साथ ही उन्होंने गौठान में गौ-मुत्र खरीदी का काम भी शुरू करने के लिए कहा। निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त संजित मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर रूपेन्द्र पटेल सहित अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

रोक-टोक करने पर आरोपी ने पत्थर से सिर पर मारकार की अपनी पत्नी की हत्या

पत्नी के हत्यारे आरोपित पति को घरघोड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर, ग्राम कोगनारा की घटना

रायगढ़। 20 फरवरी के रात्रि घरघोड़ा से मेडिकल कॉलेज रायगढ़ इलाज के लिये भर्ती कराया गई महिला चमेली बाई (उम्र 32 साल) का 21 फरवरी की सुबह निधन हो गया। चमेली बाई को मारपीट से आघात चोट पर गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज लेकर आया था। अस्पताल प्रबंधन द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दी गई। घटना की जानकारी घरघोड़ा थाना प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस को मिलने पर मृतिका के गांव से जानकारी लिये, जानकारी मिली कि मृतिका चमेली बाई को उसके पति घासीराम चौहान द्वारा हत्या की नियत से घर कुछ दूर तालाब, खेत ले जाकर पत्थर

से सिर में चोट पहुंचाया गया था। थाना प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की सूचना दी गई और तत्काल एएसपी रायगढ़ सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन पर आरोपी घासीराम चौहान की धरपकड़ में पुलिस टीम लग गई, 21 फरवरी के रात को ही आरोपी को हिरासत में लिया गया, जिसकी आज विधिवत गिरफ्तारी कर हत्या के अपराध में रिमांड पर भेजा गया है। हिरासत में लिये गये आरोपी घासीराम चौहान पिता प्रतापसिंह चौहान उम्र 35 वर्ष निवासी कोगनारा, थाना घरघोड़ा ने बताया कि ग्राम भैसबुडी, लैलूंगा की चमेली चौहान से हुआ है जिससे तीन बच्चे हैं। चमेली अक्सर अन्य महिला से अवैध संबंध होने की शंका करके लड़ाई झगडा करती थी। दिनांक 20.02.2023 के रात्रि एक दोस्त का मोबाइल पर कॉल

आने पर उससे बात करने लगा। तब मेरी पत्नी चमेली हमेशा मोबाइल में किसी महिला से बात करते रहते हो कहकर रायगढ़ सदानंद कुमार को हिनसे मना किया। उसकी इन हरकतों के कारण उसकी हत्या करने की नियत से चमेली को घर के पास नवताराई तालाब तरफ ले गया। रात्रि करीब 08.30 बजे तालाब के पास भी चमेली उन्हीं बातों को लेकर लड़ने-झगड़ने लगी जिसे हाथ-मुक्का से मारपीट करके जमीन में गिरा लिया और पगडंडी में पड़े हुए बड़े पत्थर से उसके सिर, माथा को कई बार मारा जिससे चमेली चौहान का सिर फट कर खून निकलने लगा। उसी समय गांव के दो व्यक्ति देख लिये, तब वहां से भाग गया। चमेली को गंभीर हालत में घरघोड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रायगढ़ रिफर किया गया था। सुबह चमेली चौहान की

मौत हो गई है। मामला संदेहास्पद होने से मेडिकल कॉलेज से थाना चक्रधरनगर को तहरीर भेजा गया। मूल घटनास्थल थाना घरघोड़ा क्षेत्र का होने से चक्रधरनगर पुलिस द्वारा शून्य पर मर्ग कायम कर घरघोड़ा को अग्रिम कार्यवाही के लिए मर्ग डायरी भेजा गया है। घरघोड़ा पुलिस मर्ग डायरी पर से आरोपी चमेली चौहान के पति घासीराम चौहान पर हत्या का अपराध (अप.क्र. 62/2023 धारा 302 आईपीसी) दर्ज कर फरार आरोपी को कोगनारा तथा उसके रिस्तेदारों के यहां पतासाजी किया गया। देर रात कोगनारा जंगल में छिपे आरोपी घासीराम चौहान को घेराबंदी कर हिरासत में लेकर थाने लाया गया जिससे पूछताछ करने पर अपराध स्वीकार किया है। आरोपी के मेमोरैंडम पर घटना कारित खून लगा पत्थर बरामद कर जप्त किया गया है।

परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध

सारांगढ़-बिलासगढ़। कलेक्टर डॉ.फरिहा आलम सिद्दीकी ने आगामी परीक्षाओं के सुचारु रूप से संचालन एवं छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं की तैयारी में व्यवधान उत्पन्न न हो इसे दृष्टिगत रखते हुए जिला-सारांगढ़-बिलासगढ़ में 22 फरवरी से 31 मई 2023 तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया है। विशेष परिस्थितियों एवं शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने की अनुमति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दवाडाधिकारी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं उपरोक्त अधिनियम में उल्लेखित शर्तों के अधीन देंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील

होगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी मुख्य परीक्षा एवं शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा दिनांक 1.3.2023 से 31.3.2023 तक एवं शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ एवं पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा जारी वार्षिक परीक्षा 2023 के अनुसार विश्वविद्यालय परीक्षा दिनांक 1.3.2023 से 25.5.2023 तक आयोजित की जाएगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग से परीक्षा एवं छात्र-छात्राओं के पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।

पेयजल नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन : 30 जून तक रहेगा प्रभावी

दूरभाष नंबर 07762-222972 अथवा विभागीय टोल फ्री नंबर 18002330008 में शिकायत अथवा सुझाव करा सकते है दर्ज

रायगढ़। ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल समस्या के त्वरित निराकरण एवं सुचारु रूप से संचालन/संधारण हेतु जिला स्तर पर पेयजल नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। यह प्रकोष्ठ 30 जून 2023 तक के लिए प्रभावी रहेगा। नियंत्रण प्रकोष्ठ का दूरभाष नंबर 07762-222972 है। इसी तरह जिला स्तर कार्यालय रायगढ़ एवं प्रत्येक उपखंड मुख्यालय तथा विकासखण्ड स्तर पर समस्त जनपद पंचायत मुख्यालय में शिकायत पंजी संधारित की जाएगी। शिकायत/सुझाव उक्त स्थलों पर दर्ज किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त विभागीय टोल फ्री नंबर 18002330008 में भी



शिकायत/सुझाव दर्ज किए जा सकेंगे। सहायक अभियंता लो.स्वा.यांत्रिकी, रायगढ़ देव प्रकाश वर्मा मोबा.नं.7987718375 को नियंत्रण प्रकोष्ठ प्रभारी बनाये गये है। इसी तरह सहायक मानचित्रकार लो.स्वा.यां.रायगढ़ बाबू लाल पटेल मोबा.नं.97701-94004 तथा आर.के.खलखो मोबा.नं.88393-90621 को नियंत्रण प्रकोष्ठ सहायक बनाया गया है। प्रकोष्ठ में पेयजल समस्या के निराकरण से संबंधित डाक एवं पत्राचार प्रकोष्ठ प्रभारी द्वारा किया जाएगा। प्रकोष्ठ प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक कार्य करेगी।

छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाएं बढ़ा रही हैं स्वावलंबन की दिशा में बढ़ा कदम

पालक, लालभाजी, हल्दी, जड़ी-बूटी व फूलों से हो रहा है हर्बल गुलाल बनाने का कार्य

रायपुर (आरएनएस)। एक वक्त था कि बाजार में केमिकल युक्त रंग गुलाल के अलावा कुछ उपलब्ध नहीं था। हर बार होली के त्यौहार पर त्वचा संबंधी बीमारियों को लेकर लोग परेशान रहते थे। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा गोधन न्याय योजना की शुरूआत के बाद केमिकल युक्त गुलाल अब लोगों के जीवन से दूर हो चले है। गोधन न्याय योजना से जुड़ी महिलाएं स्व सहायता समूहों के माध्यम से न सिर्फ वर्मों

कंपोस्ट तैयार कर रही हैं बल्कि हर्बल गुलाल के उत्पादन में भी अग्रसर होकर स्वावलंबन की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। समूह की महिलाएं पालक, लालभाजी, हल्दी, जड़ी-बूटी व फूलों से हर्बल गुलाल बनाने का कार्य कर रही हैं और इसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं मिलाया जाता है। इसके अलावा मंदिरों एवं फूलों के बाजार में विकलने वाले पुराने फूलों की पतियों को सुखाकर प्रोसेसिंग यूनिट में पीसकर गुलाल तैयार किया जा रहा है। फूलों के साथ ही चुकंदर, हल्दी, आम और अमरूद की हरी पतियों को भी प्रोसेस कर इसमें मिलाया जाता है। गत वर्ष हर्बल गुलाल की मांग को

देखते हुए इस बार होली पर्व को लेकर बिहान समूह से जुड़ी महिलाएं हर्बल गुलाल की तैयारी में दिन रात जुटी हुयी हैं। हर्बल गुलाल की खासियत यह है कि ये पूरी तरह से केमिकल रहित होता है और इसके इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। हर्बल गुलाल में रंग और महक के लिए प्राकृतिक फूलों का ही इस्तेमाल किया जाता है। बिहान समूह की महिलाओं के द्वारा स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हर्बल गुलाल का निर्माण किया जा रहा है और इसकी मांग पूरे प्रदेश में है। महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों की इस मेहनत से उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं और वे आर्थिक स्वावलंबन की तरफ अग्रसर

हो रही हैं। महासमुंद्र जिले के ग्राम पंचायत डोंगरपाली की जयमाता दी समूह की सदस्य अम्बिका साहू का कहना है कि उन्होंने गत वर्ष होली में 50 किलो हर्बल गुलाल बनाया था और ये पूरा हर्बल गुलाल बिक गया था। पिछली बार की मांग को देखते हुए इस बार ज्यादा हर्बल गुलाल का उत्पादन करने का लक्ष्य है। इस गुलाल के प्रयोग से त्वचा को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। बिहान समूह की महिलाओं का कहना है कि उनका ये भी प्रयास है कि वे लोगों को हर्बल गुलाल के फायदे को समझाएं ताकि लोग इन्हें ज्यादा से ज्यादा अपनाएं और खुशी के साथ होली का पर्व मनाएं।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

**Social Justice Union**  
Registered with Govt. No. 5526

**अधिकार से न्याय तक**

इस संघ का गठनसामाजिक स्वीकृति में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे स्वीकृति प्राप्त हो, प्रितिक कानून 5526 है, संघ समूह हेतु नं. 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं संरक्षक एडवोकेट श्री मोहन शंकर शर्मा (अध्यक्ष), माननीय उपा-अध्यक्ष, एवं अधीन बोर्ड के सदस्यों को श्री.वी.एम., श्रीमती के.ए. श्रीमती, श्रीमती रजनी टाकुर एवं अन्य के च-न्वत्कृत प्राप्त किया, और कल कि संघ के पास सामाजिक अन्वय अक्षम मानविकीकरण इतना समर्थी तय के प्रवृत्त होने पर, उसे विकसित में स्थापन एवं प्रवृत्त में विभिन्न महत्वपूर्ण एवं पर आरंभ एवं स्थापन व्यक्तियों के समर्थन संघ को और से प्रवृत्त किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय समर्थी कार्य एवं लेटर वेयर, मले, परिवार, विवाहों के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

**आवश्यकता**

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य स्वीकृति प्राप्त के समर्थन मिलने एवं बर्लोक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार करना, तथा मानविकीकरण हेतु अनारुका ध्यान करना है। संघ स्थापना एवं अन्वयविकीकरण के माध्यम से मानविकीकरण के समर्थन में प्रचार प्रसार करना है। इस हेतु प्रवृत्त के समर्थन मिलने एवं बर्लोक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानविकीकरण संरक्षण केन्द्र के स्थापना को अन्वय, और उन्मत्त संघ के द्वारा अधिवक्ता नियुक्तियों को अन्वय। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, किन्तु इस संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

**उद्देश्य एवं नियुक्तियां**

प्रार्थित एवं पीड़ित व्यक्ति को समर्थन एवं प्रवृत्त लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संरक्षणों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विभिन्न स्तर एवं संरक्षण के अनुसार आवश्यक मदद को अन्वय।

**मुख्य बिन्दु**

संघ विशेष रूप से मानविकीकरण दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव को हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत अधिकार संरक्षण को व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

**अन्य बिन्दु**

- संघ प्रवृत्त संरक्षण एवं प्रवृत्त तथा समर्थी केन्द्र हेतु न्यूनतम रूप से प्रवृत्त करेगा।
- एक व्यक्तिगत प्रवृत्त में प्रवृत्त के अधिकार, कर्मियों के अधिकार, अधिकारियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-अनुसूचित वर्ग के अधिकारों के समर्थन में प्रवृत्त किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद को अन्वय।
- संघ स्थापना एवं प्रवृत्त में विभिन्न एवं पर आरंभ व्यक्तियों को प्रवृत्त करेगा और प्रवृत्त को प्रवृत्त करेगा। इस हेतु संघ स्थापना एवं प्रवृत्त में विभिन्न महत्वपूर्ण एवं पर आरंभ व्यक्तियों को प्रवृत्त करेगा और प्रवृत्त को प्रवृत्त करेगा।
- संघ द्वारा तैयार किया गया एवं सामाजिक न्याय एवं मानविकीकरण संरक्षण केन्द्र के स्थापना को अन्वय, और उन्मत्त संघ के द्वारा अधिवक्ता नियुक्तियों को अन्वय। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, किन्तु इस संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।
- संघ सामाजिक कृषिओं को हर संभव के लिए संरक्षण एवं अन्वय करेगा। संघ स्थापना एवं प्रवृत्त में विभिन्न व्यक्तियों को प्रवृत्त करेगा।

**पहिए ....**  
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र  
:: Address ::  
Behind Stadium  
Near Career  
School, Raigarh,  
C.G.  
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।  
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

